सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 713 राँची, गुरुवार, 26 जुलाई, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

12 जुलाई, 2018

संख्या-5/आरोप-1-76/2015-949 (HRMS)-- श्रीमती इन्दु गुप्ता, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, देवघर के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं:

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	INDU GUPTA BHR/BAS/3437	श्रीमती इन्दु गुप्ता, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, देवघर, सम्प्रति- अपर समाहर्ता, दुमका को उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-561/स्था०, दिनांक 07.12.2015 द्वारा गठित प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित आरोपों से मुक्त किया जाता है ।

विवरण:

उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-561/स्था०, दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 द्वारा श्रीमती इन्दु गुप्ता, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, देवघर के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित हैं-

आरोप सं०-01- आपके द्वारा मनमाने ढंग से बिना कार्यालय से टिप्पणी प्राप्त किए अपने स्तर से आपूर्ति आदेश दिया गया है । देवघर में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2015 के अवसर पर कोषांगों के कार्यों की प्रगति संबंधी आहूत बैठक में सभी कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, देवघर के असहयोगात्मक रवैये की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिसके उपरांत निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के समय पर निष्पादन हेतु वरीय पदाधिकारी पंचायत निर्वाचन-सह-उप विकास आयुक्त, देवघर द्वारा जिला पंचायत राज कार्यालय, देवघर के द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों की जाँच की गई। जाँच के क्रम में नियम के विरूद्ध संचिकाओं आदि के संधारण का मामला प्रकाश में आया । त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन से संबंधित आपूर्ति सम्बन्धी कुल 14 संचिकाओं की माँग की गई एवं उपस्थापित की गई । इन संचिकाओं के अवलोकन के दौरान कार्यालय कार्यों में बहुत सी विसंगतियाँ पाई गई। संचिका सं०- III -23/2015 के साथ पाँच संचिका संधारित है । अन्य संख्यांकन भी मनमाने ढंग से किये गये हैं । उनका विषयानुसार कोई तार्किक वर्गीकरण नहीं है । संचिकाओं में टिप्पणी पृष्ठ का संधारण ही नहीं किया गया है । संचिकाओं का संख्याकन अनियमित है, संचिकाओं में किसी भी स्तर के कार्यालय कर्मी या पदाधिकारी का आदेश नहीं है । यह कार्यालय संस्कृति के अनुरूप नहीं है।

आरोप सं०-02- उच्चाधिकारियों की अनुमति प्राप्त किए बिना अपने स्तर से आपूर्ति आदेश मनमाने ढंग से देने का निर्णय लिया गया है । संचिका के अवलोकन से पता चलता है कि तीन फर्म के द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा डाला गया है- आपके द्वारा उपरोक्त तीनों आपूर्तिकर्ता को L-1 सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया जना चाहिए था, जो आपने नहीं किया । पुनः आपने दूसरे एवं तीसरे आपूर्तिकर्ता को भी न तो अवसर दिया और न ही आपूर्तिकर्ता ने आपूर्ति न कर पाने की लिखित सूचना दी और आपके द्वारा किसी अन्य फर्म (मेसर्स शारदा पुस्तक भंडार) को आपूर्ति आदेश स्वेच्छा से दे दिया गया तथा आपूर्ति भी ले ली गयी । जबकि मेसर्स शारदा पुस्तक भंडार, देवघर को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, देवघर के ज्ञापांक- 654/नि०, दिनांक 4 सितम्बर, 2009 के द्वारा काली सूची में नाम दर्ज किया जा चुका था । यह आपूर्ति आदेश दिया जाना वित्तीय अनियमितता को परिलक्षित करता है । चूँकि निविदाता से आपके द्वारा यह प्रमाण पत्र नहीं लिया गया कि वे सामग्री आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है और निहित स्वार्थवश मे० शारदा पुस्तक भंडार, देवघर को सामग्री आपूर्ति आदेश देने के पहले किसी भी वरीय पदाधिकारी से आदेश प्राप्त नहीं किया गया । यह वित्तीय नियमों की स्पष्ट अवहेलना है ।

आरोप सं०-03- उप विकास आयुक्त, देवघर के द्वारा आपके कार्यकलाप के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-उपायुक्त, देवघर को सम्पूर्ण सूचनाएँ जाँच प्रतिवेदन से दी गई । उप विकास आयुक्त ने आपसे स्पष्टीकरण की माँग की, जिसके प्रत्युत्तर में आपने उन पर आरोप लगाते हुए सीधे राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को सीधे पत्र लिखा, जो आपकी अनुशासनहीनता एवं उदण्डता का परिचायक है । आपने इसकी अग्रिम प्रति अथवा सूचना उपायुक्त को देना भी आवश्यक नहीं समझा। उपायुक्त के संज्ञान में दिए बिना राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची एवं अन्य विभाग को पत्राचार किया । यह सीधे तौर पर सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी आचार नियमावली का उल्लंघन है ।

आरोप सं०-04- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, 2015 में गठित विभिन्न कोषांगों द्वारा सामग्री आपूर्ति करने का आदेश देने के बावजूद आपके द्वारा समय पर सामग्री आपूर्ति आदेश निर्गत नहीं किया गया । निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में आपके द्वारा जानबूझकर व्यवधान डालने की कोशिश की गई।

आरोप सं०-05- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 में आपके कार्यों की समीक्षा के दौरान आपके कार्यशैली में असंतोष पाये जाने पर आप अपने गलती छुपाने एवं निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अपने दायित्वों से मुक्त होने के लिए अपने पत्रांक-1349/ जि०पं०, दिनांक 10 नवम्बर, 2015 के द्वारा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सीधे पत्राचार किया । यह आपके अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है, जिसे आयोग ने भी गंभीरता से लिया तथा आपको पंचायत निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य से मुक्त किया गया ।

उक्त आरोपों पर श्रीमती गुप्ता से विभागीय पत्रांक-589, दिनांक 15 जनवरी, 2016 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा पत्रांक-4096, दिनांक 18 मई, 2016 द्वारा स्मारित किया गया, जिसके अनुपालन में श्रीमती गुप्ता के पत्रांक-851/रा०, दिनांक 27 जून, 2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

विभागीय पत्रांक-7472, दिनांक 29 अगस्त, 2016 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, देवघर से श्रीमती गुप्ता के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-638/स्था०, दिनांक 5 दिसम्बर, 2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जो निम्नवत है:

आरोप सं०- 1 पर मंतव्य- निर्वाचन कार्य निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत सम्पन्न कराया जाना था । कार्यहित में अन्य संचिका, जिसमें उच्चाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक था, उसमें टिप्पणी लिखकर स्वीकृति प्राप्त की गयी थी । इसमें स्पष्टतः आरोप प्रमाणित नहीं हो पाता है ।

आरोप सं०- 2 पर मंतव्य- निर्वाचन कार्य प्रभावित न हो ऐसा देखते हुए मे० शारदा पुस्तक को सामाग्री आपूर्ति का आदेश दिया गया । इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि निर्वाचन कार्य की महत्ता को देखते हुए आवश्यकतानुसार कार्य किया गया था । स्पष्टतः आरोप प्रमाणित नहीं हो पाता है ।

आरोप सं०- 3 पर मंतव्य- निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को ससमय निष्पादित कराने में किसी प्रकार का विलंब न हो- की स्थिति में ऐसा किया गया प्रतीत होता है । इसमें सीधे तौर पर आरोप प्रमाणित नहीं हो पाता है ।

आरोप सं०- 4 पर मंतव्य- आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के पश्चात विभिन्न निर्वाचन कोषांगों को निर्वाचन से संबंधित सामग्री आपूर्ति करायी जा रही थी । स्पष्टतः आरोप प्रमाणित नहीं हो पाता है।

आरोप सं०- 5 पर मंतव्य- निर्वाचन कार्य के अत्यधिक दबाव एवं समयाभाव के कारण परिस्थितिवश ऐसा होना संभावित प्रतीत होता है ।

विभागीय पत्रांक-2831, दिनांक 27 अप्रैल, 2018 द्वारा श्रीमती गुप्ता के स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, देवघर के मंतव्य पर राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड से परामर्श उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड के पत्रांक-1022, दिनांक 7 जून, 2018 द्वारा उपायुक्त, देवघर के मंतव्य से सहमत होते हुए श्रीमती गुप्ता को आरोप मुक्त करने का परामर्श दिया गया ।

श्रीमती गुप्ता के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण, उपायुक्त, देवघर के मंतव्य तथा राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्रीमती इन्दु गुप्ता, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, देवघर, सम्प्रति- अपर समाहर्ता, दुमका को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार जायसवाल,
सरकार के उप सचिव
जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 713 -- 50